अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय - III

वित्तीय रिपोर्टिंग

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ प्रभावी तथा कुशल शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों की अनुपालना; तथा ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा गुणवत्ता राज्य सरकार को इसकी रणनीतिक योजनाओं तथा निर्णयन सहित मूल कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सुशासन की दृष्टि से योग्य बनाती है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रणालियों तथा निदेशों सहित सरकारी अनुपालनाओं; तथा ऐसी अनुपालना की गुणवत्ता तथा समयबद्धता से सम्बधित प्रास्थिति तथा विहंगावलोकन उपलब्ध करवाता है।

3.1 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि अनुदानग्राहियों से विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति में दर्शाई गई तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किया जाना चाहिए। तथापि, मार्च 2019 तक ₹ 5,128.42 करोड़ के कुल अनुदानों से सम्बन्धित देय 5,758 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,898.80 करोड़ (37 *प्रतिशत*) के 2,407 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (42 *प्रतिशत*) लम्बित थे। लम्बित प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की प्रस्तुती में अवधि-वार विलम्ब का सार **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2019 तक अवधि-वार बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र

क्रमांक	वर्ष*	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2016-17 तक	1,151	1,001.81	669	368.35
2.	2017-18	1,559	1,797.95	450	408.73
3.	2018-19	3,048	2,328.66	1,288	1,121.72
	योग	**5,758**	**5,128.42**	**2,407**	**1,898.80**

** ऊपर दर्शाया गया वर्ष 'देय वर्ष' से सम्बन्धित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 महीने बाद*

लम्बित 77 *प्रतिशत* प्रयुक्ति प्रमाणपत्र चार लेखा शीर्षों अर्थात् पंचायती राज (1,165 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 990 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (390 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 20 करोड़), उद्योग (156 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 59 करोड़) तथा ग्रामीण विकास (152 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: ₹ 281 करोड़) से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,121.72 करोड़ के 1,288 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र जोकि देय हो चुके थे, 23 विभागों द्वारा प्रदत्त अनुदानों के प्रति राज्य के निकायों तथा प्राधिकरणों ने प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त 2017-18 तक प्रस्तुती हेतु देय ₹777.08 करोड़ के 1,119 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र भी 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। इस प्रकार, ₹1,898.80 करोड़ के कुल 2,407 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुती हेतु देय थे। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 1,898.80 करोड़

की राशि वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च की गई है जिसके लिए विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत की गई थी। प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का भारी मात्रा में लम्बित रहना निधियों के दुर्विनियोजन तथा जालसाजी के जोखिम को बढ़ाता है।

राज्य सरकार अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदानों के सम्बंध में प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों की समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित करें तथा समीक्षा करें कि क्या प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को भारी मात्रा में लम्बित रखने वाले अनुदानग्राहियों को अनुदान देना जारी रखना चाहिए।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अप्रस्तुतीकरण तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखना

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, शहरी विकास, कल्याण, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। राज्य के 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। 14 स्वायत्त निकायों में से केवल तीन – हिमाचल विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला; जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला; तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन ने 2018-19 के अपने लेखे प्रस्तुत किए हैं। शेष 11 संस्थाओं ने एक वर्ष के विलम्ब के बावजूद सितंबर, 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। लेखा प्रस्तुत करने की अवधि, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा उनको विधानसभा के समक्ष रखने का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण कमजोर वित्तीय नियन्त्रण का सूचक है तथा वित्तीय अनियमितताओं के उजागर न होने का जोखिम पैदा करता है। लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाए ।

3.3 निकायों / प्राधिकरणों को प्रदत्त अनुदानों / ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की पहचान करने के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें)(सी0ए0जी0 का डी0पी0सी0) अधिनियम 1971 के खण्ड 14 तथा 15 के अन्तर्गत की जानी है, राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान तथा ऋण, अनुदानों तथा ऋणों को देने का उद्देश्य तथा ऐसे निकायों/प्राधिकरणों के कुल व्यय की विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रेषित करना अपेक्षित है।

तथापि, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने सम्बन्धित विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की। ऐसी सूचना के अभाव में, निकायों/प्राधिकरणों, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खण्ड 14 तथा 15 के अन्तर्गत की जानी थी, की पहचान नहीं हो पाई। तदनुसार, राज्य की संचित निधि में से दिए गए अनुदानों तथा ऋणों में से किए गए व्यय की यथार्तता तथा नियमितता/औचित्य की जांच लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ऐसे निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं के जोखिम से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से वस्तुत: वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एवं लेखाओं का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें ।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, आदि के मामले पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी सूचित किए गए थे।

मार्च 2019 तक राज्य सरकार ने ₹ 93.79 लाख राशि के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 44 मामले सूचित किये जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इन सभी मामलों में सम्बंधित विभागों द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई गई थी। इन 44 मामलों में से 41 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.4** में दी गई है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा				लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	**मामलों की संख्या**	**अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)**		**मामलों की प्रकृति/ लक्षण**	**मामलों की संख्या**	**अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)**
0 - 5	03	4.81		**चोरी**	09	8.48
5 - 10	08	12.51				
10 - 15	05	12.03				
15 - 20	12	41.39		**दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि**	35	85.31
20 - 25	03	4.91				
25 व इससे ऊपर	13	18.14				
योग	**44**	**93.79**		**योग**	**44**	**93.79**

दुर्विनियोजन/हानियों, चोरी, इत्यादि से सम्बंधित बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण **तालिका-3.3** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

विलम्ब/बकाया मामलों के कारण		**मामलों की संख्या**	**राशि (₹ लाख में)**
(i)	विभागीय एवं आपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	26	31.38
(ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	12	35.23
(iii)	न्यायालय में लम्बित	04	26.36
(iv)	अन्य	02	0.82
	योग	**44**	**93.79**

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानियों, चोरी, इत्यादि से सम्बंधित मामलों के शीघ्र और समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावशाली तंत्र विकसित करें ।

3.5 सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों का असमायोजन/अनियमित आहरण

प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अग्रिमों का आहरण विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियत्रंण अधिकारी को तथा पुनः आगे महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत किए जाने हेतु सार आकस्मिक बिलों पर किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए (जून 2017) कि कोषागारों द्वारा सभी अग्रिमों को केवल सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से ही प्राधिकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा सार आकस्मिक बिल तभी अनुमत किया जाएगा यदि पहले सार आकस्मिक बिल का विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत कर दिया हो। सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरणों की निगरानी महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा पृथक रूप से की जाएगी ।

उपर्युक्त नियमों और अनुदेशों के बावजूद राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने सार आकस्मिक बिलों के आहरण तथा ऐसे व्यय के विस्तृत आकस्मिक बिलों के द्वारा अनुवर्ती समायोजन की पहचान एवं निगरानी हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया था। कोषगारों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सार आकस्मिक बिलों से सम्बन्धित अग्रिम प्रपत्र एच0पी0टी0आर0-5 में आहरित किए जा रहे थे जोकि साधारण बिलों के आहरण हेतु प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र ही था। इस कारण न तो राज्य सरकार (वित्त विभाग) और न ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) सार आकस्मिक बिलों की पहचान तथा विस्तृत बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी कर पाए।

पाँच विभागों (आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा सेवाएं तथा खेल, उद्यान तथा कृषि) के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि 2014-19 के दौरान 306 सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम के रूप में ₹ 32.03 करोड़ की राशि का आहरण किया गया। इसमें से ₹ 28.68 करोड़ (आयुर्वेद: 62: ₹ 14.70 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 13: ₹ 13.98 करोड़) के 75 सार आकस्मिक बिल अगस्त 2019 तक समायोजन हेतु लम्बित थे जैसाकि **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

अग्रिमों की पहचान/विभेद एवं उनकी अनुवर्ती निगरानी के अभाव में सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से अग्रिमों का आहरण तथा राज्य की समेकित निधियों के बाहर बैंक खातों में निधियों के अवरोधन के फलतः प्रभाव से व्यय की अत्योक्ति तथा निधियों के दुर्विनियोजन/जालसाजी के जोखिम को बढ़ाता है। राज्य सरकार समायोजन हेतु लम्बित सार आकस्मिक बिलों की संख्या और राशि सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों की समीक्षा करे।

3.6 लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक

3.6.1 मुख्य उचंत लेखाओं के तहत् बकाया राशि

सरकार के लेखे रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखे में शामिल कुछ ऐसे लेन-देन जिन्हें प्राप्ति एवं भुगतान की प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाए जा सकते हों, 'उचंत लेखा शीर्ष' के अंतर्गत अस्थायी रूप से डाले जाते हैं। संबंधित ब्यौरों/सूचना की प्राप्ति पर ये लेखा शीर्ष अंततः माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा निपटाए जाते हैं तथा उनके अंतर्गत राशि को उनके सम्बंधित अंतिम लेखा शीर्षों में बुक किया जाता है। यदि ये

राशियां बिना निपटान के रह जाती है तो उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का संचय हो जाएगा तथा सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय को शुद्धतापूर्वक नहीं दर्शाएंगे। ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण शीर्षों में वो लेन-देन होते हैं जहां सरकार जनता के धन के संरक्षक के रूप में ऐसी धन राशि को प्राप्त करती है और रखती है।

राज्य के 2018-19 के वित्त लेखों की परिशुद्धता, उचंत शीर्षों के अंतर्गत बड़ी संख्या में अंतिम वर्गीकरण के लिए प्रतीक्षित लेन-देनों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। कुछ महत्वपूर्ण उचंत लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को, जैसाकि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही में अभिलिखित है, **तालिका 3.4** में निर्दिष्ट हैं।

तालिका 3.4: उचंत शीर्ष (8658 - उचंत लेखा)

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	77.13	29.96	86.03	36.55	96.21	35.55
निवल	47.17 डेबिट		49.48 डेबिट		60.66 डेबिट	
102-उचंत लेखा (सिविल)	275.05	275.24	171.47	164.12	149.77	131.53
निवल	0.19 क्रेडिट		7.35 डेबिट		18.24 डेबिट	
129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा	175.64	399.29	270.59	347.59	164.43	305.64
निवल	223.65 क्रेडिट		77.00 क्रेडिट		141.21 क्रेडिट	

वित्त लेखे इन शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। बकाया शेष की बकाया डेबिट तथा क्रेडिट को पृथक रूप से जोड़ कर गणना की जाती है। इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थों की चर्चा आगे के परिच्छेदों में की गई है:

➢ वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत-(लघु शीर्ष 101)

इस शीर्ष का उद्देश्य महालेखाकार एवं विभिन्न पृथक वेतन एवं लेखा अधिकारियों के मध्य लेन-देन का निपटान करना है। महालेखाकार की लेखा बहियों में, वेतन एवं लेखा अधिकारी से चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति होने पर तथा भुगतान एवं लेखा अधिकारी की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के सम्बंध में जारी किए चैक/निपटाए गए डिमांड ड्राफ्ट को इस शीर्ष के अंतर्गत मूलरूप से दर्ज किए जाते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया ऋण शेष का अर्थ है कि भुगतान महालेखाकार द्वारा वेतन एवं अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है जिन्हें अभी तक वसूला जाना है। बकाया जमा शेष का अर्थ होगा कि महालेखाकार द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से राशि प्राप्त कर ली गई है जिसका भुगतान अभी तक शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल ऋण शेष 2016-19 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो 2016-17 के ₹ 47.17 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 60.66 करोड़ तक बढ़ गए। इनके निपटान/समायोजन पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी।

➢ उचंत लेखा-सिविल (लघु शीर्ष 102)

लेन-देनों के दौरान ध्यान में आई भिन्नताओं को अंतिम रूप से दर्ज करने हेतु महालेखाकार द्वारा इस लघु शीर्ष का परिचालन किया जाता है, जिन्हें निश्चित सूचना/दस्तावेजों अर्थात् चालान, वाऊचर, आदि के अभाव में व्यय/प्राप्ति के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखा में प्राप्तियां जमा की जाती है एवं व्यय

को नामे डाला जाता है तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमशः ऋणात्मक जमा एवं ऋणात्मक नामे के रूप में निपटान किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष से तात्पर्य है 'भुगतान किया गया' परंतु इसे निश्चित विवरणों के अभाव में अंतिम शीर्ष के अंतर्गत नामे नहीं किया जा सका तथा बकाया जमा शेष प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसे विवरणों के अभाव में लेखा के अंतिम प्राप्ति शीर्ष में नामे नहीं डाला जा सका। तथापि, 31 मार्च 2019 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹18.24 करोड़ का बकाया नामे शेष था।

इसी प्रकार लघु शीर्ष 129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 तक ₹ 141.21 करोड़ का बकाया जमा शेष था ।

3.7 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अब तक तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2018-19 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना तथा उनमें कमियों की स्थिति **तालिका 3.5** में वर्णित है:

तालिका 3.5: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्रमांक	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	अनुपालना में पाई गई कमियां
1	**भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां*	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे की विवरणी 9 व 20)	राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य आंकडों के गैर-मिलान के कारण वित्त लेखे में ₹9.24 करोड़ का अंतर था।
2	**भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2:** *सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे की विवरणी 10)	राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत ₹ 0.49 करोड़ के सहायता अनुदानों को दर्ज किया गया है जो कि भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2 के विरूद्ध है।
3	**भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम*	अनुपालन किया गया (वित्त लेखे की विवरणी 18)	....

स्रोत: भारतीय शासकीय लेखांकन मानक एवं वित्त लेखे।

3.8 निष्कर्ष

प्रयुक्ति प्रमाणप्रत्रों को प्रस्तुत न करना, विभाग द्वारा अनुदानग्राहियों को जारी अनुदानों का उपयोग करने के संदर्भ में निगरानी के अभाव का परिचायक है, विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरूपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम पैदा करता है। स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत न करना तथा अनुदानों व ऋणों के माध्यम से काफी हद तक वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान न करना, इन स्वायत्त निकायों/निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताएं उजागर न होने का जोखिम पैदा करता है। अग्रिमों की पहचान/विभेद एवं उनकी अनुवर्ती निगरानी के अभाव में सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से अग्रिमों का आहरण तथा राज्य की समेकित निधियों के बाहर बैंक

खातों में निधियों के अवरोधन के फलतः प्रभाव से व्यय की अत्योक्ति तथा निधियों के दुर्विनियोजन/जालसाजी होने के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, चोरी, दुर्विनियोजन/ सरकारी सामग्री की हानि एवं गबन के ऐसे मामले थे जिनके सम्बन्ध में लम्बे समय से विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।

उपर्युक्त मामलों में वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों तथा समयबद्धता एवं रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के गैर–अनुपालन से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की मजबूती से समझौता हुआ।

शिमला | **(ऋतु ढिल्लों)**
दिनांक 30 जुलाई 2020 | प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(राजीव महर्षि)**
दिनांक 31 जुलाई 2020 | भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक